

24

24/5/19 पणवली सींगटसे तलब खेकर पैसा हई। सार्थी के अधिकता श्री महेश व्यास ने सार्थीना पत्र प्रस्तुत कर ठिकेन लिया गया कि सार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एख.अन. एख के तहत इस आशय का पैसा लिया गया कि मोंजा नीमगाव पत्तार मण्डल भायेली बागरियान की आराजीवखट 141, 142, 175, 176, 212, 452, 454, 448, 449, 453, 443 किरा-॥ कुलरकबा 4.6165 है अर्थात् सार्थी की खसिदारी की खेकर इनके स्वामीत्व की है। जिनके कोड

स्वामी सीमा चिन्ह नहीं वेनेसे मार्गी एवं विपक्षिण
 के मध्य आरजी सीमा को लेकर आये ही विवाद होता
 है। इसलिए उपरोक्त आरजी की पत्थरगढी कराई जावे।
 पत्रवली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अलोकन किया
 गया। बहस सुनी गई। मार्गी और बहस आराजियात का
 स्वप्तिर है इहे नपती काने का अधिकार है। अतः
 तहसीलदार हुंगला को 2000/- दो हजार रुपये पीसपट
 कमीशन नियुक्त किया जाकर अद्वेषित किया जावा है कि
 मुकदमा न्यायनाम पसकारान की अस्विति में बदबेस्ती
 नबशा के अनुसार विना बिस्ती के कब्जे में रखल
 हिये मौजा नमगांव की आरजी नंबर 141, 142, 175,
 176, 212, 452, 454, 448, 449, 453, 443 लिता-11
 कुल रकबा 4.31.65 हे अमि की पत्थरगढी मुकदमघटौ
 परकी जावे। पत्थरगढी पालना रिपोर्ट के इंतजार में
 दिनांक 28/6/19 तक न्यायलय रजना पेशा पेशा करे। इकी
 आदेश का तुरन्तमा अदेश जारी हो। पत्रवली इंतजार पालना
 रिपोर्ट में दिनांक 28/6/19 को पेशा हो।

उपखण्ड अधिकारी,
 हुंगला